भारत सरकार
श्रम और रोजगार मंत्रालय
राज्य सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या-1371
बुधवार, 03 जुलाई, 2019/12 आषाढ़, 1941 (शक)

महाराष्ट्र में नौकरियों का कम होना

1371. श्री राजकुमार धूतः

क्या श्रम और रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या यह सच है कि हाल ही में महाराष्ट्र और देश के शेष भागों में बड़े पैमाने पर नौकरियां कम हुई हैं;

(ख) यदि हां, तो गत चार वर्षों का तत्संबंधी वर्ष-वार, राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) देश में विशेषतः महाराष्ट्र में बड़े पैमाने पर नौकरियों के कम होने के मूल भूत कारण क्या हैं; और

(घ) इस विषय में सरकार कौन-कौन से निवारक उपाय करने का विचार रखती है?

उत्तर
श्रम और रोजगार राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)
(श्री संतोष कुमार गंगवार)

(क से ग): राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय (एनएसओ), सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय द्वारा 2017-18 के दौरान आयोजित किए गए वार्षिक आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण (पीएलएफएस) के परिणामों तथा श्रम ब्यूरो, श्रम और रोजगार मंत्रालयों द्वारा रोजगार-बेरोजगारी पर आयोजित किए गए वार्षिक सर्वेक्षण के अनुसार, 15 वर्ष एवं उससे अधिक आयु के व्यक्तियों की सामान्य स्थिति (प्रमुख स्थिति+सहायक स्थिति) आधार पर अनुमानित बेरोजगारी दर नीचे दी गई है। राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार ब्यौरा अनुबंध में दिया गया है।

बेरोजगारी दर (% में)		
सर्वेक्षण* वर्ष	महाराष्ट्र	अखिल भारत
2017-18 (पीएलएफएस)	4.8	6.0
श्रम ब्यूरो द्वारा सर्वेक्षण		
2015-16	1.5	3.7
2013-14	2.2	3.4
2012-13	3.2	4.0

(टिप्पणीः *पीएलएफएस एवं श्रम ब्यूरो सर्वेक्षण में सर्वेक्षण कार्य-पद्धति तथा प्रतिदर्श चयन अलग-अलग हैं)

(घ): नियोजनीयता में सुधार करते हुए रोजगार का सृजन करना सरकार की प्राथमिकता रही है। सरकार ने देश में रोजगार का सृजन करने के लिए अर्थव्यवस्था के निजी क्षेत्र को प्रोत्साहन देने, पर्याप्त निवेश वाली विभिन्न परियोजनाओं को गति प्रदान करने और प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम (पीएमईजीपी), महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (एमजीएनआरईजीएस), पं. दीन दयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्य योजना (डीडीयू-जीकेवाई) तथा दीनदयाल अंत्योदय योजना - राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन (डीएवाई-एनयूएलएम) जैसी योजनाओं पर सार्वजनिक व्यय में वृद्धि करने जैसे विभिन्न कदम उठाए हैं।

श्रम और रोजगार मंत्रालय द्वारा रोजगार सृजन को बढ़ावा देने हेतु नियोक्ताओं को प्रोत्साहित करने के लिए प्रधान मंत्री रोजगार प्रोत्साहन योजना (पीएमआरपीवाई) आरंभ की गई है। इस योजना के तहत, सरकार, सभी क्षेत्रों के समस्त पात्र नए कर्मचारियों हेतु ईपीएफ एवं ईपीएस के लिए 3 वर्षों हेतु नियोक्ता के संपूर्ण अंशदान (12% अथवा यथा-स्वीकार्य) का भुगतान कर रही है।

सरकार ने स्व-रोजगार को सुकर बनाने के लिए, अन्य बातों के साथ-साथ, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना (पीएमएमवाई) आरंभ की है। पीएमएमवाई के अंतर्गत लघु/सूक्ष्म व्यापरिक उद्यमों तथा व्यक्तियों को अपने व्यापारिक कार्यकलापों को स्थापित करने अथवा विस्तार करने में समर्थ बनाने के लिए 10 लाख रुपए तक का गैर-जमानती ऋण प्रदान किया जाता है।

सरकार ने राष्ट्रीय करियर सेवा (एनसीएस) परियोजना को कार्यान्वित किया है, जिसमें एक ऐसा डिजिटल पोर्टल शामिल है जो गतिशील, दक्ष एवं सकारात्मक ढंग से योग्यता अनुरूप रोजगार हेतु रोजगार चाहने वालों एवं नियोक्ताओं के लिए एक राष्ट्र-व्यापी ऑनलाइन मंच प्रदान करता है तथा इसमें रोजगार चाहने वालों के लिए आजीविका संबंधी विषय-वस्तु का भंडार है।

स्टार्ट अप इंडिया भारत सरकार की एक फ्लैगशीप पहल है। यह एक मजबूत इकोसिस्टम का निर्माण करना चाहती है जो व्यापार आरंभ करने को संवर्द्धित करने, धारणीय आर्थिक विकास को प्रेरित करने तथा बड़े पैमाने पर रोजगार के अवसर को सृजित करने में सहायक है।

इन पहलों के अतिरिक्त, मेक इन इंडिया, डिजिटल इंडिया, स्वच्छ भारत मिशन, स्मार्ट सिटी मिशन, जीर्णोद्धार एवं शहरी रूपांतरण हेतु अटल मिशन, सभी के लिए आवास, अवसंरचना विकास तथा औद्योगिक गलियारे जैसे सरकार के फ्लैगशीप कार्यक्रमों में उत्पादक रोजगार के अवसर सृजित करने की संभावना है। युवाओं की नियोजनीयता में सुधार करने तथा नियोजन की सुविधा भी प्रदान करने के लिए मंत्रालय/विभाग/राज्य विभिन्न क्षेत्रों में कौशल विकास योजनाएं चलाते हैं। राष्ट्रीय शिक्षुता संवर्द्धन योजना (एनएपीएस) जैसी योजनाएं, जिनमें सरकार शिक्षुओं को देय वृत्तिका के 25 प्रतिशत की प्रतिपूर्ति करती है, भी रोजगार तक पहुंच हेतु युवाओं की नियोजनीयता को बढ़ाती हैं।

*****

अनुबंध

राज्य सभा के दिनांक 03.07.2019 के अतारांकित प्रश्न संख्या 1371 के भाग (क से ग) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध

सामान्य स्थिति (प्रमुख स्थिति+सहायक स्थिति) आधार के अनुसार उपलब्ध सीमा हेतु 15 वर्ष एवं उससे अधिक आयु के व्यक्तियों हेतु बेरोजगारी दर के राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार ब्यौरे

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य-क्षेत्र	बेरोजगारी दर (% में)			
		श्रम ब्यूरो के सर्वेक्षण*			एनएसएस (पीएलएफएस)
		2012-13	2013-14	2015-16	2017-18
1.	आंध्र प्रदेश	2.3	2.9	3.5	4.5
2.	अरुणाचल प्रदेश	10.2	6.7	3.9	5.8
3.	असम	4.3	2.9	4.0	7.9
4.	बिहार	5.8	5.6	4.4	7.0
5.	छत्तीसगढ़	1.3	2.1	1.2	3.3
6.	दिल्ली	5.3	4.4	3.1	9.4
7.	गोवा	9.9	9.6	9.0	13.9
8.	गुजरात	2.3	0.8	0.6	4.8
9.	हरियाणा	4.3	2.9	3.3	8.4
10.	हिमाचल प्रदेश	2.8	1.8	10.2	5.5
11.	जम्मू और कश्मीर	8.2	8.2	6.6	5.4
12.	झारखंड	5.9	1.8	2.2	7.5
13.	कर्नाटक	1.8	1.7	1.4	4.8
14.	केरल	9.6	9.3	10.6	11.4
15.	मध्य प्रदेश	1.8	2.3	3.0	4.3
16.	महाराष्ट्र	3.2	2.2	1.5	4.8
17.	मणिपुर	2.2	3.4	3.4	11.5
18.	मेघालय	3.5	2.6	4.0	1.6
19.	मिजोरम	2.2	2.0	1.5	10.1
20.	नागालैंड	6.2	6.7	5.6	21.4
21.	ओडिशा	5.1	4.3	3.8	7.1
22.	पंजाब	4.7	5.4	5.8	7.7
23.	राजस्थान	2.3	3.1	2.5	5.0
24.	सिक्किम	12.2	7.1	8.9	3.5
25.	तमिलनाडु	3.6	3.3	3.8	7.5
26.	तेलंगाना	0.0	3.1	2.7	7.6
27.	त्रिपुरा	8.4	6.2	10.0	6.8
28.	उत्तराखंड	4.5	5.5	6.1	7.6
29.	उत्तर प्रदेश	4.9	4.0	5.8	6.2
30.	पश्चिम बंगाल	5.9	4.2	3.6	4.6
31.	अंडमान एवं निकोबार द्वीप	9.8	13.0	12.0	15.8
32.	चंडीगढ़	5.6	2.8	3.4	9.0
33.	दादरा और नगर	1.2	4.6	2.7	0.4
34.	दमन और दीव	1.2	6.6	0.3	3.1
35.	लक्षद्वीप	10.2	10.5	4.3	21.3
36.	पुडुचेरी	10.1	8.8	4.8	10.3
	अखिल भारतीय	4.0	3.4	3.7	6.0

स्रोत: आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण, सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय।

(टिप्पणीः *पीएलएफएस एवं श्रम ब्यूरो सर्वेक्षण में सर्वेक्षण कार्य-पद्धति तथा प्रतिदर्श चयन अलग-अलग हैं)